सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-21 **मंगलवार, दिनांक-23 मार्च, 2021 ई० ।**

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.07 बजे पूर्वाह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण आज के लिए सूचीबद्ध विधेयक के संबंध में शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा कहा गया कि कार्य स्थगन आया है, इसे उचित समय पर उठाएँ । विधेयक की बातें विधायी कार्य के समय उठायी जाय, अभी प्रश्नकाल है इसे होने दें एवं अपने-अपने स्थान पर जाएं ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 12.00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरांत

(12.00 बजे अपराह्न से 12.15 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[1] **कार्य स्थगन प्रस्ताव** :-

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राकेश कुमार रौशन, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री मो० इसराईल मंसूरी, श्री रणविजय साहू, श्री महबूब आलम, श्री मनोज मंजिल, श्री अरूण सिंह, श्री महा नंद सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री गोपाल रविदास, श्री सत्यदेव राम, श्री अजय कुमार, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, श्री सुदामा प्रसाद, श्री संदीप सौरभ, श्री रामविशुन सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी ।

[2] **शून्यकाल** :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्रीमती भागीरथी देवी
(ii) श्री पवन कुमार जायसवाल
(iii) श्री ललन कुमार
(iv) श्री पवन कुमार यादव

आसन द्वारा आज के लिए सूचीबद्ध कुल 56 सूचनाओं में से शेष 52 को शून्यकाल समिति के सुपुर्द किया गया एवं आज के लिए सूचीबद्ध कुल-06 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया गया । साथ ही कहा गया कि आज के लिए सूचीबद्ध प्रश्नों के शत-प्रतिशत उत्तर सभी विभागों से प्राप्त हुए हैं ।

[3] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

1. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017-18 का "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन" एवं "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन" तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)", "विनियोग लेखे" तथा "राज्य का वित्त" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
2. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017-18 का "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन" एवं "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन" तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)", "विनियोग लेखे" तथा "राज्य का वित्त" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रम समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।" इसपर सदन की सहमति हुई ।
3. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के परिणाम बजट पुस्तिका की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
4. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
5. माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के जेंडर बजट पुस्तिका की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने पूर्व की मांग को लेकर शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को बारी-बारी से कहें ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.07 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[4] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के बाल कल्याण बजट पुस्तिका की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति, श्री दामोदर रावत द्वारा समिति का 275वें प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

विधायी कार्य :-

[5] राजकीय संकल्प :-

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि यह सभा संकल्प लेती है कि कवि कोकिल ''विद्यापति'' के नाम पर दरभंगा हवाई अड्डा का नाम ''विद्यापति एयरपोर्ट'' किये जाने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करे । प्रस्ताव पर सदन की सहमति हुई ।

राजकीय विधेयक :-

''बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021''

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा कहा गया कि आप अपने अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहें । एक साथ सभी लोग बोलेंगे तो आसन कुछ सुन नहीं पाएगा ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 04.30 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई ।

स्थगनोपरांत

(05.10 बजे अपराह्न से 05.13 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य श्री प्रेम कुमार ने आसन ग्रहण किया)

आसन द्वारा कहा गया कि आज के लिए सूचीबद्ध कार्यक्रमों की समाप्ति तक सदन की अवधि का विस्तार किया जाता है ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए । उनके अमर्यादित एवं अशोभनीय आचरण के कारण सभा की कार्यवाही 06.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरांत

(06.00 बजे अपराह्न से 06.02 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने आसन ग्रहण किया)

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए । पुन: उनके अमर्यादित व्यवहार के कारण सभा की कार्यवाही 07.40 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरांत

(07.40 बजे अपराह्न से 08.50 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अखतरूल ईमान द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ऋषि कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री मो० इसराईल मंसूरी, श्री राजवंशी महतो, श्री भरत बिन्द, श्री विजय कुमार एवं श्री मुकेश कुमार रौशन द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अली अशरफ सिद्दिकी एवं श्री विजय कुमार द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री राकेश कुमार रौशन, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा सिंह द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा विधेयक में किए गए प्रावधानों से सदन को अवगत कराया गया ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक के संबंध में कहा गया कि यह विधेयक बहुत आवश्यक था । महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में इन्हें लगाया जायगा और उसी के तहत उन्हें अधिकार भी दिए गए हैं । यह जनता के हित में है । इसके विषय में जो गलत प्रचार किया जा रहा है उससे दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए । विपक्ष को अपनी बातों को रखना चाहिए था सरकार उनके सभी बिन्दुओं पर जबाव देती ।

तदुपरांत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

"बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021"

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार, श्री समीर कुमार महासेठ तथा श्री अजीत शर्मा द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत "बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021" सदन से स्वीकृत हुआ ।

"बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021"

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021"

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, राकेश कुमार रौशन, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री ऋषि कुमार एवं श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री सुधाकर सिंह द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत "बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021" सदन से स्वीकृत हुआ ।

"पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021"

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, राकेश कुमार रौशन, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ, एवं श्री ऋषि कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री सुधाकर सिंह द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत "पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021" सदन से स्वीकृत हुआ ।

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021"

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ऋषि कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा दिए गए संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत " बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021" सदन से स्वीकृत हुआ ।

"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021"

माननीय प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग श्री सम्राट चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राजेश कुमार, श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिए गए संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत "बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021" सदन से स्वीकृत हुआ ।

[6] आसन का संदेश :-

आसन द्वारा कहा गया कि आज बिहार विधान सभा में विपक्ष द्वारा अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित किया गया । इस तरह का हिंसक व्यवहार कभी नहीं हुआ । पूर्व में भी राष्ट्रीय जनता दल ने सदन में रात भर धरना दिया था परन्तु उस समय परिपक्व नेतृत्व था इसलिए ऐसी हिंसक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी । आज अपरिपक्व नेतृत्व के कारण विचार विमर्श के केन्द्र सर्वोच्च सदन को कुरूक्षेत्र की तरह बनाने की कोशिश की गई । सत्ता पक्ष ने यदि धैर्य का परिचय नहीं दिया होता तो आज न जाने क्या हो जाता ।

उल्लेखनीय है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 में विपक्ष द्वारा 33 संशोधन प्रस्तुत किया गया परन्तु उसपर विपक्ष द्वारा चर्चा नहीं करा कर सदन की मर्यादा को तार-तार किया गया और पुलिस को सदन के अन्दर प्रवेश कराने के लिए बाध्य कर दिया गया ।

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष निष्पक्षता से सदन का संचालन करते हैं । सरकार विधेयक लाती है और विपक्ष उसपर विभिन्न प्रकार के संशोधन प्रस्तुत कर अपना विरोध प्रकट करती है । इसमें अध्यक्ष की भूमिका केवल सुव्यवस्थित सभा संचालन की रहती है परंतु अध्यक्षीय कक्ष के तीनों दरवाजों को जिस तरह से आलमारी लगाकर, रस्सी बांध तथा धरना पर बैठ कर बंद कर दिया गया उससे लगा कि विपक्ष के निशाने पर अध्यक्ष है । यह पूर्णत: अपरिपक्व नेतृत्व की निशानी है ।

तदुपरांत मननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा आसन के स्वर में स्वर मिलाने हुए कहा गया कि आज विपक्ष द्वारा सदन की मर्यादा को शर्मसार किया गया । यह सर्वथा निंदनीय है । पूर्व में भी विरोधी दल द्वारा विरोध प्रकट किया जाता था किन्तु वह मर्यादित और लोकतांत्रिक तरीके से होता था किन्तु आज मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघने का प्रयास किया गया, जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए ।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 63 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-24 मार्च, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

पटना
दिनांक-23.03.2021

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।